आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020–21/796 दिनांक–26/11/2021

समस्त रजिस्ट्रार, प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
वित्तपोषित विश्वविद्यालय/ निजी विश्वविद्यालय,
राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय– मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना बावत्।
संदर्भ– विभाग का आदेश क्रमांक – 597 दिनांक–06.10.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 के विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विद्यार्थियों द्वारा आक्षेपपूर्ति हेतु अंतिम तिथि 23.10.2021,महाविद्यालयों द्वारा जाँच उपरान्त नोडल महाविद्यालयों को फारवर्ड की अंतिम तिथि 25.10.2021 एवं नोडल महाविद्यालयों द्वारा जाँच किये जाने हेतु अंतिम तिथि 2.11.2021 रखी गई थी किन्तु कतिपय विद्यार्थियों द्वारा अंतिम तिथि तक आक्षेप पूर्ति नहीं की गई। महाविद्यालयों द्वारा जिला नोडल महाविद्यालयों को अंतिम तिथि तक फारवर्ड नहीं किया गया एवं जिला नोडल महाविद्यालयों द्वारा अंतिम तिथि तक जाँच नहीं की गई। विद्यार्थी हित को मध्यनजर रखते हुए निम्नलिखित तिथियों के अनुसार पोर्टल खोला जा रहा है :–

विद्यार्थियों को आक्षेप पूर्ति हेतु	दिनांक–27.11.2021 से 2.12.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक
महाविद्यालयों द्वारा नोडल महाविद्यालय को आवेदन ऑनलाईन फॉरवर्ड हेतु	दिनांक–27.11.2021 से 4.12.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक
नोडल महाविद्यालयों द्वारा आवेदन ऑनलाईन जांच किये जाने हेतु	दिनांक–27.11.2021 से 6.12.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक

यदि किसी महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र विद्यार्थी किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर करते है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी की होगी एवं उक्त योजना के संबंध में प्रचार–प्रसार की जिम्मेदारी जिला नोडल अधिकारी की होगी।

(हरिसिंह मीना)
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23(80)(1)/लेखा/निकाशि/छा.ऑनलाईन/2020–21/797 दिनांक–26/11/2021
प्रतिलिपिः–प्रभारी वेवसाइट को अपलोड हेतु।

(हरिसिंह मीना) 26/11/21
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Schlorship/